

दिनांक 08.08.2023 को सम्पन्न साप्ताहिक विभागीय समीक्षा बैठक (VC) से संबंधित कार्यवाही :-

PMGSY

1. Compliance of questionnaire given by Estimate Committee of Parliament के संबंध में :-

सभी कार्य प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि संसद के प्राक्कलन समिति की प्रस्तावित समीक्षा बैठक के आलोक में माँगी गयी सूचना यथा PMGSY-I की वैसी सड़कें जो PMGSY-II अथवा PMGSY-III में चयनित हुई हैं, का विवरण 09 अगस्त 2023 तक उपलब्ध कराया जाए। इस कार्य हेतु PMGSY-III में स्वीकृत पथों की सूची Google spreadsheet के माध्यम से उपलब्ध करा दी गयी है।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

2. Compliance of issues raised in pre-EC meeting held on 04.08.2023 के संबंध में :-

सभी कार्य प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि दिनांक-04.08.2023 को सम्पन्न PMGSY-III की योजनाओं (पथ एवं पुल) की स्वीकृति हेतु Pre-Empowered Committee की बैठक में उठाये गये निम्नांकित बिन्दुओं का अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक-12.08.2023 तक अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे:-

(i) PMGSY-III के तहत स्वीकृति हेतु प्रस्तावित पथों के संदर्भ में प्रमाण पत्र यथा 10 वर्ष की निरूपित अवधि पूर्ण हो चुकी है, अन्य योजनाओं के तहत निर्मित अथवा प्रस्तावित नहीं है, Geo-Sadak पर इसका आरेखन draw कर दिया गया है।

(ii) PMGSY-III के तहत स्वीकृति हेतु प्रस्तावित पुलों के संदर्भ में प्रमाण पत्र यथा प्रस्तावित पुल PMGSY-III के तहत स्वीकृत/प्रस्तावित पथ के आरेखन पर अवस्थित है, Geo-Sadak पर इसका आरेखन draw कर दिया गया है।

(iii) PMGSY-III के तहत स्वीकृति हेतु प्रस्तावित योजनाओं के लिये क्षेत्रीय सांसद महोदय की अनुशंसा प्राप्त कर MP-I एवं MP-II प्रपत्र विहित प्रपत्र में कार्यपालक अभियंता के हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाए।

(iv) Pre-Empowered Committee की बैठक में कतिपय पुलों के परियोजना प्रस्तावों के स्थल आवश्यकता/आरेखन पर आपत्ति दर्ज की गयी थी। इस आलोक में संबंधित अधीक्षण अभियंता को स्थल जाँच कर समंतव्य जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने का निदेश पत्र के माध्यम से दिया गया है। संबंधित अधीक्षण अभियंता यथा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी एवं किशनगंज कार्य अंचल अपना जाँच प्रतिवेदन 10 अगस्त 2023 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. BHUVAN Portal के संबंध में :-

BHUVAN Portal पर प्रमंडलों द्वारा किये जा रहे त्रुटियों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि प्रमंडलों की प्रगति असंतोषजनक है। इस कार्य में सबसे धीमी प्रगति वाले 10 कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी (56.70%), मढ़ौरा (55.50%), अररिया (52.50%), वायसी (51.40%), समस्तीपुर (50.50%), झंझारपुर (50.00%), जमुई (49.70%), महुआ (49.10%), हाजीपुर (48.90%) एवं रजौली (47.80%) हैं, जिनका दर्शाया गया प्रतिशत कार्य upload किया जाना लम्बित है।

निदेश:- बैठक में सभी कार्य प्रमण्डलों को निदेशित किया गया कि इस कार्य को हर हाल में 14 अगस्त 2023 तक पूर्ण कर लिया जाये अन्यथा प्रमण्डलों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जायेगी।

4. GPS based VTS के संबंध में :-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के अंतर्गत पथों के निर्माण के दौरान कार्यरत वाहनों machinery/equipment में GPS enabled के installation कार्य की समीक्षा की गयी जिसमें यह पाया गया कि 315 कार्यरत पथों में से मात्र 283 पथों में 613 GPS enabled VTS को install किया गया है।

निदेश:-बैठक में सभी कार्य प्रमण्डलों को निदेशित किया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के तहत शेष बचे 32 पथों में कार्यरत, न्यूनतम 1 machinery/equipment में GPS enabled VTS के installation 14 अगस्त 2023 तक पूर्ण कर लिया जाय, अन्यथा OMMAS पर इन योजनाओं का भुगतान ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा freeze कर दिया जायेगा।

5. eMARG के संबंध में :-

PMGSY योजनान्तर्गत पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षणाधीन पथों का Bi-monthly Routine Inspection eMARG के माध्यम से किया जाना है। माह जुलाई-2023 में अब तक किये गये Bi-monthly Routine Inspection कार्य नहीं करने वाले शीर्ष 10 defaulter कार्य प्रमंडल, मुंगेर (07 RI), औरंगाबाद (03 RI), सिमरी-बख्तियारपुर (03 RI), खड़गपुर-तारापुर (02 RI), मढ़ौरा (02 RI), झंझारपुर (02 RI), मनिहारी (02 RI), बेतिया (01 RI), गया (01 RI) एवं झांझा (01 RI) है।

निदेश:-सभी कार्य प्रमंडलों को निदेश दिया गया कि अगस्त-2023 में किये जाने वाले शेष Bi-monthly Routine Inspection को शत प्रतिशत पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

6. Unspent balance of PMGSY Programme fund

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडलों के पास कुल 351.00 करोड़ की अव्यवहृत राशि का प्राधिकार लम्बित है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्य प्रमंडल, वायसी (33.12 करोड़), सीतामढ़ी एवं शिवहर (21.06 करोड़), भागलपुर (18.37 करोड़), बारसोई (11.02 करोड़), अररिया (11.82 करोड़), उदाकिशुनगंज (13.56 करोड़) सिमरी-बख्तियारपुर (10.32 करोड़) सिवान-1 (6.86 करोड़), पुपरी (6.57 करोड़) एवं सहरसा (6.36 करोड़) में सबसे अधिक अव्यवहृत राशि लम्बित है।

निदेश:- सभी संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि 14 अगस्त 2023 तक लम्बित अव्यवहृत राशि का या तो उपयोग कर लें अथवा योजनावार इसका प्रत्यर्पण किया जाना सुनिश्चित करें। यह भी बताया गया कि जिनके पास राशि लम्बित रहेगी उनका प्राधिकार रोक दिया जायेगा।

7. भौतिक रूप से पूर्ण कार्यों के अंतिम विपत्र का निष्पादन

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत भौतिक रूप से पूर्ण 260 कार्यों को वित्तीय रूप से पूर्ण किया जाना लम्बित है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 27 अंतिम विपत्र 500 या उससे अधिक दिनों से लम्बित हैं।

निदेश:- सभी संबंधित कार्य प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि 14 अगस्त 2023 तक लम्बित अंतिम विपत्रों का निष्पादन सुनिश्चित करें।

8. Unspent balance of 5-year routine maintenance fund

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडलों के पास कुल 98.46 करोड़ की Unutilized amount लम्बित है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद (5.23 करोड़), सीतामढ़ी (4.64 करोड़), वायसी (3.93 करोड़), मोतिहारी (3.78 करोड़), झांझा (3.56 करोड़), गया (2.97 करोड़) बांका-2 (2.95 करोड़) शेरघाटी (2.72 करोड़) पुपरी (2.69 करोड़) एवं सहरसा (2.40 करोड़) में सबसे अधिक अव्यवहृत राशि लम्बित है।

निदेश:- सभी संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि 14 अगस्त 2023 तक लम्बित अव्यवहृत राशि का या तो उपयोग कर लें अथवा योजनावार इराका प्रत्यर्पण किया जाना सुनिश्चित करें। यह भी बताया गया कि जिनके पास राशि लम्बित रहेगी उनका प्राधिकार रोक दिया जायेगा।

(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता)

राज्य योजना (NABARD)

390 स्वीकृत पूल में से शेष DPR को अविलंब मुख्यालय को समर्पित करने का निदेश दिया गया। NABARD द्वारा मांगी गई जानकारी को विहित प्रपत्र में भरकर मुख्यालय को समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता)

MIS

जुलाई माह का Civil Works Pending Index (CWPI) के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई एवं कार्यपालक अभियंता अपने क्षेत्राधीन कराये जा रहे CWPI से संबंधित योजनाओं को अविलंब पूर्ण कराये जाने एवं अद्यतन प्रतिवेदन मुख्यालय को अविलंब समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता)

FDR

मानसून के पुनः सक्रिय होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि अपने-अपने पदाधिकारियों को Alert रखें।

क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में Google Sheet को अपडेट करे एवं आवश्यकतानुसार पथों के Motorable कार्य/Drone Videography का कार्य कराते रहें।

कार्य प्रमंडल, अररिया द्वारा Drone Videography को Upload नहीं करने पर मुख्य अभियंता-2 द्वारा उन्हें निदेशित किया कि शीघ्र Videograph MIS पर Upload करें।

वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त वैसे पथ जिसमें 50% से कम लंबाई में क्षतिग्रस्त हुए थे उसमें कराये गये कार्यों में जॉच के क्रम में लगाये गये ATR को निराकरण हेतु तथा Non Starter कार्यों में Drop का प्रस्ताव मुख्यालय में समर्पित

करने के लिए कार्य प्रमंडल, बारसोई, बेलसंड, बेनीपट्टी, छपरा-1, दरभंगा-1, हाजीपुर, मधुबनी, मनिहारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी-1, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2, मुजफ्फरपुर पश्चिम, शेरघाटी, सीतामढ़ी को निदेशित किया गया।

अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, सारण, मुंगेर, मधेपुरा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर को विभागीय पत्रांक-3562 दिनांक 11.07.2023 में दिये गये निर्देश के आलोक में बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों के पूर्ण पुर्नस्थापन कार्यों की जांच कर शीघ्र प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता)

SQC

(1) NRIDA के दिशा-निर्देश के अनुसार PMGSY अन्तर्गत निर्माणाधीन पथों/पुलों के QCR Part I (Quality Control Register) को अधी0 अभि0 द्वारा ग्रेड प्रदान कर e-mail के माध्यम से SQC को भेजा जाना है तत्पश्चात SQC/CE/CEO, BRRDA द्वारा ग्रेड प्रदान कर OMMAS पर अपलोड किया जाना है। 20% QCR संबंधित मुख्य अभियंता एवं 10% QCR CEO, BRRDA द्वारा ग्रेड प्रदान किया जाना है। वर्तमान में SQC/CEO, BRRDA द्वारा लगभग 95% QCR OMMAS पर अपलोड किया जा चुका है। अतएव बचे हुए 29 QCR का अधी0 अभि0 द्वारा ग्रेडिंग करने के पश्चात संबंधित मुख्य अभियंता से ग्रेडिंग कराकर SQC कार्यालय में 15 अगस्त तक भेजना सुनिश्चित करें। सन्दर्भित पत्र पूर्व में भी निर्गत किया जा चुका है।


(2) PMGSY अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन पथों/पुलों के NQM/SQM निरीक्षण के दौरान पायी गई त्रुटियों का निराकरण NRIDA के दिशा-निर्देश के अनुसार निरीक्षण के एक माह के अन्दर ATR समर्पित किया जाना है परन्तु लगातार विभागीय V.C एवं पत्र के माध्यम से स्मारित करने के बावजूद अभी भी 83 NQM ATR लम्बित है, सूचि RWD Whatsapp पर दे दी गई है। Stuck up scheme के ATR को छोड़कर, शेष 6 माह से उपर लम्बित सभी ATR संबंधित कार्यपालक अभियंता 15 अगस्त तक समर्पित करना सुनिश्चित करें अन्यथा लम्बित रखने वाले कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु विभाग को संसूचित कर दिया जाएगा।

(3) MERI SADAK App पर प्राप्त शिकायत का Final Reply लम्बित की संख्या 26 है जिसकी सूची RWD Whatsapp पर दे दी गई है। संबंधित कार्यपालक अभियंता एक सप्ताह के अन्दर इसका निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

(4) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल-जमुई (Package no.- BR15P3R03), कार्य प्रमंडल-वायसी (Package no.- BR27P3R55, BR27P3R56) से संबंधित Field Laboratory स्थापित कर तीन (03) दिनों के अंदर Geotag कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता)


सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक- 4388

/दिनांक 11/08/2023

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, सभी कार्य अंचल/कार्यपालक अभियंता, सभी कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक- 4388

/दिनांक 11/08/2023

प्रतिलिपि :- सभी मुख्य अभियंता एवं नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक- 4388

/दिनांक 11/08/2023

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

